

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1971(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1586 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “वात्सल्य ट्रस्ट, सी-2/32, श्री विजय कुंज सोसायटी, कंजुर मार्ग (पूर्व), मुम्बई-400042” द्वारा “(i) अनाथालय, (ii) बालिका आश्रम, (iii) वृद्धाश्रम, (iv) बाल अभिभावक मागदर्शन केंद्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली अवधि से तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2391 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2399 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “वात्सल्य ट्रस्ट, सी-2/32, श्री विजय कुंज सोसायटी कंजुर मार्ग (पूर्व), मुम्बई-400042” द्वारा चलाई जा रही “(i) अनाथालय, (ii) बालिका आश्रम, (iii) वृद्धाश्रम, (iv) बाल अभिभावक मागदर्शन केंद्र” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.92 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ

होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 48/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)